

सींच अंकन
(क्षेत्रफल आधारित)

1. अल्पिका का नाम.....
2. कुलाबा की संख्या.....
3. कुलाबा की चेनेज.....
4. सिंचाई का वर्ष.....
5. फसल की ऋतु.....
6. सिंचाई अभिलेखन का सप्ताह.....

| क्र० | भूधारक का नाम | भूधारक के पिता का नाम | पता ग्राम/तहसील जिला | गाटा सं० | गाटा का कुल क्षेत्र (हे०) | सिंचित गाटा की माप | | | फसल का नाम | सिंचाई का प्रकार | |
|---------|---------------|-----------------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | लम्बाई (मी०) | चौड़ाई (मी०) | क्षेत्र (हे०) | | प्रवाह के आकर्षण द्वारा (तोड़) | अस्थापन द्वारा (डाल) |
| (तोड़)1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

1. सिंचाई अभिलिखित करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम
2. हस्ताक्षर.....
पता.....

सींच अंकन
(आयतन आधारित)

1. अल्पिका का नाम.....
2. कुलाबा की संख्या.....
3. कुलाबा की चेनेज
4. सिंचाई का वर्ष.....
5. फसल की ऋतु.....
6. सिंचाई अभिलेखन का सप्ताह.....

| क्र0 | भूधारक का नाम/ पिता का नाम | गाटा संख्या | | | जल वितरण के आरम्भ का दिनांक | जल वितरण की समाप्ति का दिनांक | कुलाबा का प्रवाह | सिंचित क्षेत्रफल | जिन्स का नाम | अभियुक्ति |
|------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| | | शीर्ष उप कमांड | मध्य उप कमांड | टेल उप कमांड | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

कुलाबा समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सिंचाई अभिलेखन हेतु नियुक्ति व्यक्ति के हस्ताक्षर

सींच का विवरण
(क्षेत्रफल आधारित)

1. अल्पिका का नाम.....
2. कुलाबा संख्या.....
3. कुलाबा की चेनेज
4. गाँव का नाम.....
5. तहसील का नाम.....
6. जिला का नाम.....
7. सिंचाई का वर्ष.....
8. फसल ऋतु.....

| क्रसं0 | भूधारक का नाम | भूधारक के पिता का नाम | गाटा सं0 | गाटा का कुल क्षेत्रफल (हे0) | जिन्स का नाम | सिंचित क्षेत्रफल (हे0) | सिंचाई के प्रकार | |
|--------|---------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | आकर्षण प्रवाह (तोड़) | उत्थापन (डाल) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति
के अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

सींच का विवरण
(आयतन आधारित)

1. अल्पिका का नाम.....
2. कुलाबा संख्या.....
3. कुलाबा की चेनेज
4. गाँव का नाम.....
5. तहसील का नाम.....
6. जिला का नाम.....
7. सिंचाई का वर्ष.....
8. फसल ऋतु.....

| क्रसं0 | भूधारक का नाम | भूधारक के पिता का नाम | गाटा सं0 | जल लेने का कुल समय | लिये गये जल का कुल मात्रा (क्यूसेक में) | जल प्रभार की दर | जल प्रभार की कुल धनराशि (रु0) | पूर्ववर्ती वर्ष में देय जल प्रभार (रु0) | कुल जल प्रभार (रु0) |
|--------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति
के अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

सींच अंकन हेतु अधिकृत व्यक्ति

सेवा में,

सक्षम नहर अधिकारी

.....

विषय : फसली में सिंचाई दर्ज करने हेतु व्यक्तियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली 2010 के नियम 26(2) के तहत
..... समिति के कमाण्ड में सिंचाई दर्ज करने दिनांक को हुई प्रबन्धन समिति की
बैठक में निम्नानुसार व्यक्तियों को अधिकृत किया गया।

| क्र०सं० | कुलाबा सं० | सिंचाई दर्ज करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता एवं मोबाइल नं० | प्रमाणित हस्ताक्षर |
|---------|------------|--|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

अध्यक्ष / सचिव

..... अल्पिका समिति

नहर अपराध हेतु नोटिस

संख्या:

दिनांक :

..... अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति।

(..... द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम 2009 के अन्तर्गत पंजीकृत)

श्री पुत्र श्री ग्राम जिला
..... आपको उत्तर प्रदेश सहभागी प्रबन्धन अधिनियम 2009 की धारा 33 के अन्तर्गत निम्नलिखित (जिन पर सही (✓) का निशान लगा है) नहर अपराध करने हेतु समिति द्वारा दोषी पाया गया है। नोटिस प्राप्त करने के दिवस के अन्दर समिति के कार्यालय पर आकर अपना स्पष्टीकरण दे कि क्यों न आप के विरुद्ध नहर अपराध करने हेतु वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया जाय।

1. आपने..... नहर/ जल निकासी संकर्म को क्षतिग्रस्त/परिवर्तित/वृद्धि/बाधित किया है।
2. आपने नहर/ जल निकासी मार्ग में/के अधीन को/जल प्रवाह/जलापूर्ति के साथ हस्तक्षेप किया है/ जलापूर्ति में वृद्धि/ कमी किया है।
3. आपने सिंचाई प्रणाली के कार्यवाही क्षेत्र के बाहर समुचित प्राधिकार के बिना जल उपयोग किया है।
4. आपने जल की बर्बादी को रोकने के लिये समुचित सावधानी लेने में उपेक्षा किया है/ उससे जल के प्रधिकृत वितरण के साथ हस्तक्षेप किया है/ ऐसे जल का अप्रधिकृत रूप से उपयोग किया है।
5. आपने नहर जल को विकृत/अपमिश्रित किया है जिससे यह उस प्रयोजनार्थ जिसके लिये इसका सामान्य उपयोग किया जाता है, कम उपयोगी हो गया।
6. आपने लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा निश्चित किये गये वाटर गेज/ तल चिन्हों को नष्ट कर दिया है।

7. आपने नहर/जल निकासी मार्ग के किनारे/ किनारों/
..... संकर्म के आर-पार जानवर/कोई वाहन नियमों के प्रतिकूल जब कि उसे इससे दूर रहने की इच्छा की गई थी/ है पार किया है/ पार कराया है। (सिवाय उन स्थानों के जहां पशुघाट की व्यवस्था की गई हो और इसके लिए सड़क बनायी गयी है।)
8. आपने अनुसूचित सिंचाई सारणी के क्रियान्वयन में बाधा डाला है।
9. आपने नहर/जल निकासी मार्ग पर अतिक्रमण/नहरी आस्तियों/शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाया है।
10. आपने इस अधिनियम के उपबंधों तथा तदधीन बनाये गये नियम
.....का उल्लंघन किया है।

अध्यक्ष
जांच उपसमिति
..... समिति

पुलिस सहायता का प्रार्थना-पत्र

कार्यालय

.....समिति

.....

पत्रांक :

दिनांक

विषय : नहर अपराध की जाँच हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-157 एवं उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा.....के अन्तर्गत नहर अपराध के विरुद्ध जाँच करने में पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सक्षम नहर अधिकारी

.....

.....

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें.....पर श्रीपुत्र श्री ...
.....ग्राम.....पोस्ट.....जिलाके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा-33 के अन्तर्गत नहर अपराध किए जाने की जाँच की जा रही है। जाँच को पारदर्शी एवं ससमय पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा-33 के अधीन अपने बयान दर्ज कराने हेतु नोटिस दिया गया था परन्तु श्री.....केने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया तथा बयान हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिससे जाँच करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः सी0आर0पी0सी0 की धारा.....157 के अन्तर्गतहेतु थानाध्यक्ष.....
.से श्रीको बयान हेतु उपस्थित कराने हेतु सहायता उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष

जाँच उप समिति

प्रतिलिपि-थानाध्यक्ष.....

वैधानिक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष से अनुरोध

कार्यालय

..... समिति

.....

पत्रांक :

दिनांक :

विषय : नहर अपराध पर वैधानिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
सेवा में,

थानाध्यक्ष

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।कुलाबा/अल्पिका/ रजबहा पर श्री पुत्र श्री ग्रामपोस्ट जिला ने उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम 2009 की धारा 33 के अन्तर्गत नहर अपराध किया है। समिति ने श्री पुत्र श्री को इस हेतु नोटिस (संख्या दिनांक संलग्न है।) दिया गया और नहर अपराध की जाँच अधिनियम की धारा के अन्तर्गत की गई। जिसमें श्री का अपराध सिद्ध हुआ है (जाँच आख्या की छायाप्रति) अतः आपसे अनुरोध है कि श्री पुत्र श्री के विरुद्ध नहर अपराध हेतु उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम की धारा के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष

..... अल्पिका
समिति

पत्रांक : /दिनांक

प्रतिलिपि —निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सक्षम नहर अधिकारी
2. तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति।

अध्यक्ष

..... अल्पिका
समिति

अनाधिकृत सिंचाई जुर्माना पर्ची

पर्ची नं०..... दिनांक.....

जल उपभोक्ता समिति का नाम.....

श्री पुत्र श्री आप द्वारा अल्पिका के कुलाबा सं० के कमाण्ड में स्थित गाटा सं० के हे० क्षेत्रफल में जिन्स की आप द्वारा निम्न श्रेणी की अनाधिकृत सिंचाई दिनांक.....को की गयी है।

अतः आप पर उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा 42 के अन्तर्गत सिंचाई विभाग में प्रचलित सिंचाई दर के गुना अर्थात् प्रति हे० के दर से हे० क्षेत्रफल की अप्राधिकृत सिंचाई हेतु कुल रुपये का अर्थ दण्ड लगाया जाता है आप इसे समिति के कार्यालय में दिनांक तक जमा करे दें अन्यथा इसे बकाये राजस्व की भाँति वसूली हेतु जिलाधिकारी महोदय के पास भेज दिया जाएगा।

(1) हस्ताक्षर
सिंचाई दर्ज करने हेतु
अधिकृत व्यक्ति
(2) गवाह यदि कोई हैं।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
सिंचाई प्रबन्धन उपसमिति
..... अल्पिका समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष, ज०उ०स०

जमाबन्दी प्रपत्र
(क्षेत्रफल आधारित)

1. अल्पिका का नाम.....
2. सिंचाई का वर्ष.....
3. कुलाबा की संख्या.....
4. फसल सीजन का नाम

| क्रसं० | भूधारक का नाम | भूधारक के पिता का नाम | गाटा सं० | सिंचित गाटा का कुल क्षेत्र (हे०) | जिन्स का नाम | जल प्रभार की दर | जल प्रभार की धनराशि (रू०) | पूर्ववर्ती वर्ष में देय जल प्रभार (रू०) | अनाधिकृत जल उपयोग हेतु दण्ड की धनराशि (रू०) | जल बर्बादी हेतु दण्ड की धनराशि (रू०) | कुल जल प्रभार |
|--------|---------------|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

अधिशाली अभियन्ता का हस्ताक्षर

जमाबन्दी प्रपत्र
(आयतन आधारित)

1. अल्पिका का नाम.....
2. सिंचाई का वर्ष.....
3. फसल ऋतु.....

| क्रसं० | भूधारक का नाम | कुलाबा संख्या | गाटा सं० | | | लिये गये जल का कुल समय (घंटे) | कुलाबा का जल प्रवाह (क्यूसेक) | लिये गये जल की मात्रा | जिन्स का नाम | जल दर | जल प्रभार (रूपया) (7)X(9) X(k) | पूर्व वर्ती वर्षा में देय जल प्रभार (रूपया) | अनाधिकृत जल उपयोग पर दण्ड की धनराशि (रु०) | जल बर्बादी हेतु दण्ड की धनराशि (रु०) | कुल जल प्रभार (रूपया) (10)X(11) X(12) X(13) |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------------------|--|--|---|--|
| | | | शीर्ष उप कमांड | मध्य उप कमांड | टेल उप कमांड | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

K = 0.90 उपकमांड हेतु

K = 0.95 मध्य कमांड हेतु

K = 1.0 प्रधान उप कमांड हेतु

अधिशायी अभियन्ता का हस्ताक्षर

रसीद बुक

अल्पिका समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर.....

1. अल्पिका का नाम.....
2. कुलाबा संख्या.....
3. कुलाबा की चेनेज.....
4. गाँव का नाम.....
5. तहसील का नाम.....
6. जिला का नाम.....
7. सिंचाई का वर्ष.....
8. फसल ऋतु.....

| प्राप्ति | प्राप्ति की दूसरी प्रति |
|--|--|
| पुस्तक सं०.....प्राप्ति सं०..... | दिनांक.....को श्री..... |
| दिनांक.....को श्री | पुत्र श्री..... ग्रा०..... |
| पुत्र श्री..... ग्रा०..... | सिंचाई का वर्ष..... फसल ऋतु..... |
| सिंचाई का वर्ष..... फसल ऋतु.....अल्पिका का नाम..... | अल्पिका का नाम..... |
| जल प्रभार (रु०)..... | जल प्रभार (रु०)..... शब्दोंमें..... |
| शब्दों में..... प्राप्त किया गया | प्राप्त किया गया |
| जल उपभोक्ता समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर | जल उपभोक्ता समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर |

जल शुल्क हेतु अधिकृत व्यक्ति

सेवा में,

सक्षम नहर अधिकारी

.....

विषय : फसली में सिंचाई शुल्क प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली 2010 के नियम 27(3) के तहत
..... समिति के कमाण्ड में सिंचाई शुल्क प्राप्त करने हेतु की प्रबन्धन समिति के
दिनांक को हुई बैठक में निम्नानुसार व्यक्तियों को सिंचाई शुल्क प्राप्त करने हेतु
अधिकृत किया गया।

| क्र०सं० | कुलाबा सं० | सिंचाई शुल्क प्राप्त करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाइल नं० | प्रमाणित हस्ताक्षर |
|---------|------------|--|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अध्यक्ष / सचिव

..... अल्पिका समिति

सक्षम नहर अधिकारी द्वारा जल शुल्क की वसूली
फार्म-R

खण्ड का नाम.....

जल उपभोक्ता समिति का नाम.....

जल प्रभार जमा करने का दिनांक.....

| कस0 | भू-धारक का नाम (जमाबंदी के अनुसार) | जमा की जाने वाली जल प्रभार की धनराशि (जमाबंदी के अनुसार) | जमा किए गए जल प्रभार की धनराशि / प्रपत्र सं0 9 की रसीद संख्या | | जमा किये जाने वाले पूर्ववर्ती देय | जमा किया गया पूर्ववर्ती देय / प्रपत्र सं0 9 की रसीद सं0 | | जमा की गई कुल धनराशि | टिप्पणी |
|-----|------------------------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|---|--------------|----------------------|---------|
| | | | सं0 | धनराशि (रू0) | | सं0 | धनराशि (रू0) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर और मुहर

समक्ष नहर अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

कुलाबा का जल बजट

| | |
|----|---|
| 1 | कर्सो |
| 2 | किसान का नाम |
| 3 | गाटा सं० |
| 4 | गाटा का क्षेत्र (हे०) |
| 5 | फसल का नाम |
| 6 | फसल के अधीन क्षेत्र (हे०) |
| 7 | अपेक्षित जल की कुल गहराई (से०मी०) |
| 8 | फसल द्वारा अपेक्षित जल की मात्रा (हे०से०मी) |
| 9 | प्रत्येक वारंबंदी के रूप में जल प्रवाह का समय |
| 10 | प्रत्येक रोस्टर के अनुसार वाटरिंग की सं० |
| 11 | कुलाबा का निष्कारण (प्रवाह) |
| 12 | उपलब्ध जल की कुल मात्रा (क्युविक फिट) (9)X(10) X(11) |
| 13 | उपलब्ध जल की कुल मात्रा (हे०से०मी) (12)X3530 |
| 14 | अन्य स्रोतों द्वारा व्यवस्थित जल की कुल मात्रा (8)-(13) |
| 15 | अभियुक्ति |

अल्पिका हेतु जल बजट

अल्पिका का नाम.....

| क०सं० | कुलाबा सं० | कुलाबा शीर्ष पर कुल जल की मात्रा (हे०से०मी०) | | अल्पिका में कुल हानि | अल्पिका में अपेक्षित जल की कुल मात्रा | अल्पिका के शीर्ष पर अपेक्षित जल की कुल मात्रा | अभियुक्ति |
|-------|------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| | | अपेक्षित (प्रपत्र सं० 12 क से) | उपलब्ध (प्रपत्र सं० 12 क से) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

अल्पिका में प्राप्त जल का जल लेखा

| क्र०सं० | प्रस्तावित रोस्टर के अनुसार जल प्रवाह की मात्रा और अवधि | जल प्रवाह की वास्तविक अवधि | माइनर के शीर्ष पर गेज माप का दिनांक और समय | गेज पठनांक (रीडिंग) | वास्तविक प्रवाह की अवधि के दौरान औसत गेज पठनांक | वास्तविक प्रवाह अवधि के दौरान जल प्रवाह की मात्रा | अभियुक्ति |
|---------|---|----------------------------|--|---------------------|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

अल्पिका द्वारा कुलाबा को वितरित जल का जल लेखा

| क्र०सं० | कुलाबा सं० | कुलाबा का प्रवाह (क्यूसेक) | कुलाबा में बहाव की अवधि (दिनांक) | बहाव का कुल समय (सेकेण्ड) | कुलाबा में जल बहाव का परिमाण (3)X(5) | टिप्पणी |
|---------|------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

रजबहा हेतु जल बजट

| क०सं० | अल्पिका का नाम/सीधा कुलाबा संख्या | अल्पिका/सीधे कुलाबा शीर्ष पर कुल परिमाण (हे०से०मी०) | | माइनर में कुल हानि | रजबहा में अपेक्षित कुल मात्रा | रजबहा के शीर्ष पर अपेक्षित कुल मात्रा | अभियुक्ति |
|-------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | अपेक्षित (प्रपत्र सं० 13 क/12 क से) | उपलब्ध (प्रपत्र सं० 13 क/12 क से) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

रजबहा में प्राप्त जल का जल लेखा

| क0सं0 | प्रस्तावित रोस्टर के अनुसार जल प्रवाह की मात्रा और अवधि | जल प्रवाह की वास्तविक अवधि | रजबहा के शीर्ष पर गेज माप का दिनांक और समय | गेज वाचक | वास्तविक प्रवाह कालावधि के दौरान औसत गेज पठनांक | वास्तविक प्रवाह अवधि के दौरान जल प्रवाह की मात्रा | अभियुक्ति |
|-------|---|-------------------------------------|--|-------------|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

रजबहा द्वारा अल्पिका और सीधे कुलाबा निकासी को वितरित जल का जल लेखा

| क्र०सं० | अल्पिका का नाम/सीधे कुलाबा संख्या | माइनर का प्रवाह/सीधा कुलाबा (क्यूसेक) | बहाव अवधि | बहाव का कुल समय (से०) | अल्पिका/सीधा कुलाबा से जल बहाव का परिमाण (4)X(5) | टिप्पणी |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

जरनल पंजिका

जल उपभोक्ता समिति का नाम

| दिनांक | विवरण | वाउचर संख्या | नामे | जमा |
|--------|-------|--------------|------|-----|
| | | | | |

फसलवार जल के प्रयोग का विवरण

..... समिति

| क्र०सं० | वर्ष (खरीफ/रबी) | | | | | | | | अभियुक्ति | |
|---------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|-----------|--|
| | नहर के शीर्ष पर प्राप्त जल की मात्रा | | | कमाण्ड क्षेत्र में जल उपयोग की मात्रा | | | | अन्तर = (नहर के शीर्ष पर प्राप्त जल की मात्रा) – (कमाण्ड क्षेत्र में जल उपयोग की मात्रा) (9= 4-8) | | |
| | नहर के शीर्ष पर डिस्चार्ज | जल प्रवाह का कुल समय | जल की मात्रा = नहर के शीर्ष पर डिस्चार्ज × जल प्रवाह का कुल समय (4= 2×3) | फसल का नाम | कमाण्ड का कुल सिंचित क्षेत्रफल (हे०) | जल की मानक गहराई | जल उपयोग की मात्रा = कमाण्ड का कुल सिंचित क्षेत्रफल × जल की मानक गहराई (8= 6×7) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर :

1. जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष :

2. सिंचाई प्रबन्धन उपसमिति अध्यक्ष :

फसलवार शीर्ष, मध्य एवं टेलवार सींच
का गत एवं वर्तमान वर्ष का तुलनात्मक विवरण

..... समिति

| क्र०सं० | | वर्ष (खरीफ / रबी) | | | | | | | | | | | अभियुक्ति | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|----|--|----|---|----|---|----|----|
| 1 | गत वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के शीर्ष भाग पर कुल सींच हे० | 2 | वर्तमान वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के शीर्ष भाग पर कुल सींच हे० | 3 | अन्तर = वर्तमान वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के शीर्ष भाग पर कुल सींच - गत वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के शीर्ष भाग पर कुल सींच (4=3-2) | 4 | गत वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के मध्य भाग पर कुल सींच हे० | 5 | वर्तमान वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के मध्य भाग पर कुल सींच हे० | 6 | अन्तर = वर्तमान वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के मध्य भाग पर कुल सींच - गत वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के मध्य भाग पर कुल सींच (7=6-5) | 7 | गत वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के टेल भाग पर कुल सींच हे० | 8 | वर्तमान वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के टेल भाग पर कुल सींच हे० | 9 | अन्तर = वर्तमान वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के टेल भाग पर कुल सींच - गत वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र के टेल भाग पर कुल सींच (10=9-8) | 10 | गत वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र की कुल सींच (हे०) (11=2+5+8) | 11 | वर्तमान वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र की कुल सींच (हे०) (12=3+6+9) | 12 | अन्तर = वर्तमान वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र की कुल सींच - गत वर्ष में कमाण्ड क्षेत्र की कुल सींच (13=12-11) | 13 | 14 |

हस्ताक्षर :

1. जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष :

2. सिंचाई प्रबन्धन उपसमिति अध्यक्ष :

नहर पर सम्पादित कार्यों एवं व्यय का विवरण

..... समिति

| क्र०सं० | नहर पर कराये गये कार्यों का विवरण | इकाई | नहर पर कराये गये कार्य के सापेक्ष किये गए व्यय (रु० में) | अभियुक्ति |
|---------|-----------------------------------|------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | |
| | हस्ताक्षर : | | | |
| 1. जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष : | | | 3. वित्तीय प्रबन्धन उपसमिति अध्यक्ष : | |
| | | | | |
| 2. जल उपभोक्ता समिति कोषाध्यक्ष : | | | 4. निर्माण कार्य उपसमिति अध्यक्ष : | |

अनाधिकृत जल उपयोग की स्थिति
..... समिति

| क्र०सं० | जल के अनाधिकृत उपयोग का विवरण | अनाधिकृत उपयोग के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण | अभियुक्त |
|---------|-------------------------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

हस्ताक्षर :

1. जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष :

2. जाँच उपसमिति अध्यक्ष :

वित्तीय स्थिति
..... समिति

| क्र०सं० | धन प्राप्त करने का वित्तीय स्रोत | कुल प्राप्त धनराशि (रु० में) | प्राप्त धनराशि पर किया गया व्यय (रु० में) | अभियुक्ति |
|---------|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

हस्ताक्षर :

1. जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष :

3. वित्तीय प्रबन्धन उपसमिति अध्यक्ष :

2. जल उपभोक्ता समिति कोषाध्यक्ष :

जल शुल्क वसूली की स्थिति

..... समिति

| क्र०सं० | वर्ष (खरीफ/रबी) | | | | | | अभियुक्ति |
|---------|--------------------------|---|---------------------|--|---|---|-----------|
| | फसल का नाम | जमाबन्दी के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र में फसल की कुल सींच | सिंचाई दर (रु० में) | कमाण्ड क्षेत्र में वसूल करने योग्य कुल धनराशि (रु० में) (5=3×4) | कमाण्ड क्षेत्र में वसूल की गई वास्तविक धनराशि (रु० में) | अन्तर = वसूल करने योग्य धनराशि - वसूल की गई वास्तविक धनराशि (7=5-6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

हस्ताक्षर :

1. जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष:

2. सिंचाई प्रबन्धन उपसमिति अध्यक्ष:

नहर अपराध की स्थिति

..... समिति

| क्र०सं० | कमाण्ड क्षेत्र में किये गये अपराधों की संख्या | कमाण्ड क्षेत्र में किये गये अपराधों के निराकरण की स्थिति संख्या में | अन्तर = कमाण्ड क्षेत्र में किये गये अपराधों की संख्या – कमाण्ड क्षेत्र में किये गये अपराधों के निराकरण की स्थिति संख्या में (4=2-3) | कमाण्ड क्षेत्र में किये गये अपराधों का संक्षिप्त विवरण | अभियुक्ति |
|---------|---|---|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

हस्ताक्षर :

1. जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष:

2. जाँच उपसमिति अध्यक्ष: